63

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

R. 5040-दो/15

COURT FEE
भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

394
10.9.15

1. गंगा प्रसाद तनय लहुराई कोल उम्र 75 वर्ष,
2. लुज्जा तनय लहुराई कोल उम्र 70 वर्ष,
3. फुलेल तनय लहुराई कोल उम्र 30 वर्ष,
4. दिनेश तनय गंगा कोल उम्र 42 वर्ष,

सभी निवासी ग्राम पुरैनी जागीर, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

..................**आवेदक / निकरानीकर्तागण**

बनाम

तीरथ प्रसाद तनय गंगा कोल निवासी ग्राम पुरैनी जागीर, तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0 ....**अनावेदक / गैरनिगराकार**

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर जिला रीवा म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 216/अ–12/10–11 आदेश दिनांक 31.08.2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

10.9.15
सर्किट कोर्ट रीवा

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :–

1. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

10/9/15

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग—अ

प्रकरण क्रमांक 5040—दो / 2015 निगरानी   जिला — रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/8/17	यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 216अ–12/2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31–8–2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी की प्रचलनशीलनता पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गये। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एंव अपर कलेक्टर, जिला रीवा के आदेश दिनांक 31–8–2015 के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार वृत्त बनकुईया तहसील हुजूर ने अनावेदक व्दारा सीमांकन आवेदन देने पर उसके स्वामित्व की आराजी क्रमांक 357, 358, 359 का सीमांकन कराया है एंव आवेदकगण व्दारा प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण करते हुये प्रकरण क्रमांक 61 अ–12/09–10 में पारित आदेश दिनांक 22–9–10 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है। अपर कलेक्टर रीवा व्दारा आदेश दिनांक 31–8–2015 से निगरानी इस आधार पर निरस्त की गई है कि सीमांकन के पूर्व सूचना पत्र में निगरानीकर्तागण के अलावा अन्य सभी सरहदी कास्तकारों को सूचना दी गई है जिस पर सरहदी कास्तकारों के हस्ताक्षर है। सीमांकन स्थल पर सीमांकन उपरांत बनाये गये पंचनामे पर मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं। सीमांकन पर आवेदकगण व्दारा प्रस्तुत की गई आपत्ति का भी नायव तहसीलदार ने सुनवाई उपरांत निराकरण किया है जिसके कारण अपर आयुक्त ने नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 22–9–10 को यथावत् रखा है।	

जहां तक सीमांकन से आवेदकगण द्वारा बनाये गये मकानों की भूमि प्रभावित होने का प्रश्न है ? आवेदकगण स्वयं् के भूखंण्डों का सीमांकन अधीक्षक भू अभिलेख से अथवा राजस्व निरीक्षक से कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अपर कलेक्टर रीवा द्वारा आदेश दिनांक 31-8-2015 में तथा नायव तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 22-9-10 में निकाले गये निष्कर्ष समरूप पाये जाने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी में आगे सुनवाई की आवश्यकता नहीं है जिसके कारण इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य